

बिहार स्टेट मार्टिनरिटीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, टॉर्निंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... बी० एस० एम० एफ० सी० /

पटना

दिनांक:

स्वीकृतदेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के योग संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 में वर्णित 15 टैंडी में राज्य सम्पिधत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योगार ऋण योजनांतर्गत खिला स्तरीय वचन समित द्वारा दिनांक-05.07.2017 एवं 06.07. 2017 को चयनित आवेदकों में से निम्निकृत आवेदकों से प्रमउदतीय प्रथरी द्वारा नालन्दा जिला के रूटिहीन कार्जाकारण/रस्त्रावेज निष्पादित कारकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देसे के लिए की गई अग्रशंसा के आधार पर कुल 02 लागुक को उनके नाम के सामने ऑकत टैंड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दरशाई गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विधायीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18. 05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतान के स्तम में दरशाई गये राशि सीधे सख्त्सित लागुक के आधार काड आख्तिर बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

SI. N	वचन	संख्या	क्र०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	37/181			MD FIROJ, S/O- MUNBAR ALI, VIII- SHARIF, PS-BIHAR SHARIF, PO-BIHAR SHARIF, Distt.-NALANDA-803101	A/c No.:- 48611820018927	READYMADE GARMENTS	300000	1500	298500
2.	40/145			MD JAVED, S/O- MD HASIM, VIII.-BALKHI, KATRA PAR, Block-BIHAR SHARIF, PS- LAHERI, PO-BIHAR SHARIF, Distt.- NALANDA-803101	A/c No.:- 486210110010786	FRUIT SHOP	200000	1000	199000
						TOTAL	500000	2500	497500

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित टैंड में लागू राशि द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सुविगत की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की शैतिक जाँच कर प्रमउदतीय कार्यालय के प्रथरी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान शैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

शेष निदेशक
 दिनांक: 20/11/18
 पटना

शेष निदेशक
 दिनांक: 20/11/18
 पटना